वर्ष 2012–13 के
वार्षिक लेखे

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2012–13

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए समस्त उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखा जाता है, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों तथा पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं। इस अंतर को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ–साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण–1 की परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना गया तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया है, जितना कि इस अंशदान/सहायता अनुदान में से अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

(i) अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गई हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत/निर्मित अचल परिसंपत्तियों को, जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में लिया जाता है।

(ii) भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां जो कंपनी की नहीं हैं, अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

(iii) विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में, भूमि के वे भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत के परिकलन में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गई पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

(iv) उस मामले में, जहां संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

(v) कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गई परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को कार्य पूरा होने की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्यों में विशिष्ट मद के तौर पर दर्शाया जाता है और बाद में उन्हें अचल परिसंपत्तियों में शामिल कर लिया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

(i) पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास, नई टाउनशिप का निर्माण, वनीकरण, पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे आदि) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत

कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर उसे भू–अवर्गीकृत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा।

(ii) निक्षेप निर्माण कार्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

(iii) आपूर्ति और उत्थापन की संविदाओं के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

(iv) संविदाओं के मामले में मूल्य अंतर के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

(v) अचल परिसंपत्ति के निर्माण पर हुए कारपोरेट कार्यालय/सेवा केंद्रों के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों को अभिज्ञात किया जाता है और नियमबद्ध आधार पर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है।

कारपोरेट कार्यालय/सेवा केंद्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि व्यय सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (ईडीसी) (निवल) को चल रहे पूंजी कार्य में उसमें वर्धनों के आधार पर जोड़ दिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

(vi) परियोजनाओं के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य (ईडीसी) के दौरान व्यय को अग्रेनीत कर नीति संख्या 5(i) के अनुसार संव्यवहृत किया जाता है।

6. ऋण लागत

(i) विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(ii) सामान्यतः उधार ली गई निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत, जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार संविभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

(i) विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उन दरों पर किया जाता है, जिस पर उनका सौदा किया गया हो।

(ii) तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें अंतिम दर का प्रयोग कर सूचित की जाती हैं। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर मुद्रा मदों को सौदे की तारीख को प्रवृत्त विनिमय दर पर सूचित किया जाता है।

(iii) 01.04.2004 से पहले किए गए लेन–देन से उत्पन्न अचल परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों से जुड़े ऋणों/जमाराशियों/देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की लगने वाली लागत में समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय अंतरों का एएस–11 (संशोधित 2003) "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" के अनुसार लेखाकरण किया जाता है।

(iv) अन्य विनिमय अंतरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें यह उत्पन्न हुए हों, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

(i) मूल्यह्रास को प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर को अधिसूचित नहीं किया है, उनके बारे में मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि के आधार पर किया जाता है।

विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण दीर्घावधिक देनदारी में वृद्धि/कमी के कारण परिसंपत्ति की लागत में परिवर्तन के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप से संशोधित

परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

(ii) 1500/–रुपए तक की लागत वाली निम्न मूल्य मदों को, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उनको राजस्व से प्रभारित जाता है।

(iii) 1500/–रुपए से अधिक किन्तु 5000/–रुपए तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

(iv) मूल्यह्रास परिसंपत्तियों को ''उपयोग के लिए तैयार होने'' की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

(v) लीज़ होल्ड जमीन की लागत पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

(vi) कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गई परिसंपत्तियों पर परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान उपगत पूंजीगत व्यय को संबंधित परियोजना की पहली इकाई का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने के वर्ष से पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है तथा इसके बाद उस वर्ष से, जिसमें संबंधित परिसंपत्ति पूरी हो गई हो तथा प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गई हो, परिशोधित किया जाता है।

(vii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग के विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्श की अवधि, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

मशीनों के कल–पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति की किसी मद के मामले में ही किया जा सकता है तथा जिसका प्रयोग अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल–पुर्जे

(i) भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी निम्नतर हो, निर्धारित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ii) अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल–पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय को मान्यता

(i) ऊर्जा बिक्री का लेखाकरण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार किया जाता है। उस विद्युत केंद्र के मामले में, जहां अंतिम प्रशुल्क को अधिसूचित नहीं किया गया है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गए लागू विनियमों में दी गई विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी द्वारा वार्षिक नियत प्रभारों की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनाई गई अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के प्रति वसूली/वापसी का हिसाब वर्षानुवर्ष आधार पर रखा जाता है।

(ii) प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशि का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत केंद्रों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नही किया गया है/लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशियों का हिसाब अनंतिम आधार पर रखा जाता है।

(iii) ऊर्जा बिक्री के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार तथा परिसमाप्त क्षतियों/वारंटी दावों को इसकी वसूली किए जाने/स्वीकृति किए जाने की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसलिए इसकी प्राप्ति/प्राप्ति आधार के सुनिश्चित होने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

(iv) संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को दिए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

(v) कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय किया जाता है।

(vi) बीमा दावों का हिसाब बीमाकर्ता द्वारा प्राप्ति/स्वीकृति सुनिश्चित वसूली के वर्ष में किया जाता है।

(vii) परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित परामर्शी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाता है।

व्यय

(viii) मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

(ix) प्रत्येक मामले में 10,000/–रुपए या उससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त खर्च तथा पूर्वावधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

(x) वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

(xi) व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

(xii) पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विनिर्दिष्ट प्रतिशत अलग रख दिया जाता है ताकि निगम की सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके। खर्च न की गई राशि अग्रेनीत कर दी जाती है।

11. कर्मचारियों के हितलाभ

(i) कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता पैकेज और अंतिम संस्कार खर्च इत्यादि के लिए देनदारी का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जैसाकि एएस.15 में परिभाषित किया गया है।

(ii) कंपनी ने भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस कोष में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों पर ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

31.03.2004 तक आस्थगित राजस्व व्यय को व्यय के वर्श से 10 वर्षों की अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया गया है। हालांकि, बाद में उसे व्यय वाले वर्ष में पूरी तरह प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय निर्धारण अंतरों के आधार पर मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन–पत्र की तारीख तक पारित किए गए कानूनों के आधार पर उसका प्रमाणीकरण किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते में उस सीमा तक राशि जमा की जाती है/नामे डाली जाती है, जहां तक कर व्यय भावी वर्षों में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगदी प्रवाह विवरण को 'नगदी प्रवाह विवरण' से संबंधित लेखाकरण मानक (एएस–3) में निर्धारित परोक्ष तरीके के अनुसार तैयार किया जाता है।

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं					
शेयरधारकों की निधियां					
(क) शेयर पूंजी	1	3,44,309		3,29,758	
(ख) प्रारक्षित निधि और अतिरिक्त राशि	2	3,32,840	6,77,149	2,86,456	6,16,214
आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि			0		4,500
गैर चालू देयताएं					
(क) दीर्घावधि उधारियां	3	3,46,624		4,48,834	
(ख) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	23,364		28,754	
(ग) दीर्घावधि प्रावधान	5	20,305	3,90,293	18,532	4,96,120
चालू देयताएं					
(क) अल्पावधि उधारियां	6	1,28,812		39,958	
(ख) व्यापार देयताएं	7	34		50	
(ग) अन्य चालू देयताएं	8	72,086		69,445	
(घ) अल्पावधि प्रावधान	9	13,031	2,13,963	39,130	1,48,583
कुल			**12,81,405**		**12,65,417**
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तियां					
(I) मूर्त परिसंपत्तियां	10	8,79,498		9,20,291	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	109		136	
(iii) प्रगति पर पूंजी कार्य	11	78,519	9,58,126	57,081	9,77,508
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		25,188		19,816
(ग) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	13		59,744		57,593
(घ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	14		49		515

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूचियां	15	2,558		1,660	
(ख) व्यापार प्राप्य	16	2,30,701		1,90,897	
(ग) नगदी एवं नगदी समरूप राशियां	17	1,609		13,787	
(घ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	18	2,745		3,146	
(या अन्य चालू परिसपंत्तियां	19	685	2,38,298	495	2,09,985
योग			**12,81,405**		**12,65,417**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और संलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कम्पनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एवं भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 17572

दिनांक : 09 जुलाई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	20		1,95,614		2,04,558
अन्य आय	21		7,039		950
कुल राजस्व			**2.02,653**		**2,05,508**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22		19,323		14,995
वित्त लागत	23		60,510		53,173
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	10		47,435		45,080
सृजन प्रशासन और अन्य व्यय	24		15,188		11,774
प्रावधान	25		24		156
कुल व्यय			**1,42,480**		**1,25,178**
कर–पूर्व लाभ			**60,173**		**80,330**
पूर्वावधि आय / (व्यय) (निवल)	26		422		96
कर पूर्व लाभ			**59,751**		**80,234**
कर व्यय	27				
वर्तमान कर					
आय कर		11,953		16,290	
संपत्ति कर		32	11,985	85	16,375
आस्थगित कर – परिसंपत्ति		(5,372)	(5,372)	(6,524)	(6,524)
वर्ष का लाभ			**53,138**		**70,383**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन					
मूल (₹)			157.86		213.44
लघुकृत (₹)			157.86		213.42

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कम्पनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एवं भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 17572

दिनांक : 09 जुलाई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में

(लघु कोष्ठक में आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर–पूर्व निवल लाभ और पूर्वावधि समायोजन				
निम्न हेतु समायोजन :–		**60,173**		**80,330**
मूल्यह्रास	47,822		45,143	
प्रावधान	24		156	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित	(5,441)		0	
ऋणों पर ब्याज	60,510		53,173	
पूर्वावधि समायोजन	(422)	1,02,493	(96)	98,376
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालन लाभ		**1,62,666**		**1,78,706**
निम्न हेतु समायोजन				
वस्तु सूचियां	(920)		(48)	
व्यापार प्राप्य	(39,804)		(79,402)	
अन्य परिसंपत्तियां	(185)		(389)	
ऋण एवं अग्रिम (चालू + चालू से भिन्न)	(648)		(2,257)	
व्यापार देय और देयताएं	885		(18,537)	
प्रावधान (चालू + चालू से भिन्न)	(24,326)	(64,998)	22,504	(78,129)
प्रचालनों से सृजित नकदी		**97,668**		**1,00,577**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		(11,985)		(16,375)
प्रचालन से निवल नकदी (क)		**85,683**		**84,202**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्न में परिवर्तन :–				
अचल परिसंपत्तियां और सीडब्ल्यूआईपी	(35,204)		(36,011)	
निर्माण स्टोर	459		(139)	
पूंजी अग्रिम	(1,102)		(18,964)	
विविध व्यय (समायोजित सीमा तक)	10		13	
निवेश गतिविधियां से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(35,837)**		**(55,101)**

राशि लाख ₹ में

(लघु कोष्ठक में आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
ग. वित्त व्यवस्था कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	10,051		4,500	
उधारियां	(11,565)		52,754	
ऋणों पर ब्याज	(60,510)		(53,173)	
लाभांश और लाभांश पर कर	0		(24,639)	
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**(62,024)**		**(20,558)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(12,178)**		**8,543**
ङ आरंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		**13,787**		**5,244**
च. अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य (घ+ङ)		**1,609**		**13,787**

टिप्पणी :–

1. नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में ₹ 50 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 232 लाख) का बैंकों में शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित / पुनःव्यवस्थित / पुनःदर्शित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कम्पनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एवं भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 17572

दिनांक : 09 जुलाई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

31मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी : 1

शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
रुपए 1000/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त रुपए 1000/– प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,44,30,917	3,44,309	3,29,75,817	3,29,758
कुल		**3,44,30,917**	**3,44,309**	**3,29,75,817**	**3,29,758**

टिप्पणी : 1.1

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का लेखा समाधान

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
आरंभिक		3,29,75,817	3,29,758	3,29,75,817	3,29,758
निर्गत		14,55,100	14,551	0	0
घटौती		0	0	0	0
अंतिम		3,44,30,917	3,44,309	3,29,75,817	3,29,758

टिप्पणी : 1.2

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5 % से अधिक शेयर धारिता					
I. भारत सरकार		2,50,81,517	72.85	2,37,37,017	71.98
II. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	27.15	92,38,800	28.02
कुल		**3,44,30,917**	**100.00**	**3,29,75,817**	**100.00**

1.3 कंपनी को तारीख 17–12–2008 की संख्या 40/2/2008–सी एल–III के तहत भारत सरकार को आबंटित रुपए 1000/–प्रत्येक के 27787 इक्विटी शेयरों के निरस्तीकरण द्वारा रुपए 278/– लाख की शेयर पूंजी को कम करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की पुष्टि प्राप्त हुई है। इसके लिए आवश्यक प्रविष्टि वर्ष 2008–09 में पारित की गई है। घटौती, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पारेषण लाइनों एवं संबद्ध सब–स्टेशनों के अंतरण के संबंध में आंशिक खरीद प्रतिफल का द्योतक है। इस प्रकार, इस संबंध में शेयर पूंजी में कुल घटाव 1998–99 में किए गए ₹841 लाख के पूर्ववर्ती अपचयन सहित ₹1119 लाख है।

टिप्पणी : 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
आरक्षित पूंजी					
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान		1,44,134		1,44,134	
घटाएं : –					
बकाया अंशदान		15		15	
प्राप्त अंशदान		**1,44,119**		**1,44,119**	
घटाएं :–					
मूल्यह्रास के संबंध में समायोजन		34,359	1,09,760	27,595	1,16,524
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजनाओं के लिए)					
आरंभिक शेष		472		472	
वर्ष के दौरान प्राप्त		0		1	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	472	0	472
उप–जोड़ – ''क''			**1,10,232**		**1,16,996**
लाभ एवं हानि खाते में अधिशेष					
आरंभिक		1,69,470		1,23,726	
जोड़ें : लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष हेतु लाभ		53138		70,383	
विनियोजन हेतु कुल लाभ			**2,22,608**		**1,94,109**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		0		0	
प्रस्तावित लाभांश		0	0	21,200	21,200
लाभांश पर कर					
लाभांश संवितरण कर–अंतरिम		0		0	
लाभांश संवितरण कर–प्रस्तावित		0	0	3,439	3,439
उप–जोड़ –''ख''			**2,22,608**		**1,69,470**
उप–जोड़ – 'ग' (क + ख)			**3,32,840**		**2,86,466**
विविध व्यय (ऐसी सीमा तक जिसे बट्टे खाते नहीं डाला गया है अथवा समायोजित नहीं किया गया है)					
आरंभिक शेष		10		23	
वर्ष के दौरान परिवर्धन		0		1	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समयोजित		(10)	0	(14)	10
उप–जोड़ – ''घ''			**0**		**10**
कुल (ग–घ)			**3,32,840**		**2,86,456**

2.1 कंपनी ने रुपए 1000/- प्रत्येक के सममूल्य के प्रति इक्विटी शेयर शून्य की दर पर वर्ष 2012–13 के लिए (पूर्ववर्ती वर्ष रूपये 64.29 प्रति इक्विटी शेयर) लाभांश का प्रस्ताव किया है।

टिप्पणी : 3

दीर्घावधि उधारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
क. प्रतिभूत					
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए) *					
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक 10.75% वार्षिक देय चल ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			0		4.535
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक 10% वार्षिक की दर पर देय चल ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			8,175		15,700
(15 जुलाई, 2005 से 15 जनवरी, 2015 तक 9.75% वार्षिक देय चल ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)।			6,900		6,900
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए) *					
(15 अक्तूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 12.75% वार्षिक देय चल ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 15 वर्ष तक प्रतिदेय)।			85,764		94,792
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (केएचईपी के लिए) #					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 12% वार्षिक देय चल ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय)**			0		8,000
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 11.50% वार्षिक देय चल ब्याज दर का अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय) **			0		60,068
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 11.25% वार्षिक देय चल ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय) **			0		14,113
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 11% वार्षिक देय चल ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय) **			0		20,193
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 12.75% वार्षिक देय चल ब्याज दर अपनाते हुए तिमाही किस्त पर 10 वर्ष तक प्रतिदेय) **			90,675		0
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) (केएचईपी के लिए) #					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 12.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			5,479		6,144

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 12.25% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			5,304		3,175
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 12% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			7254		8,134
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 11.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			990		1,110
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 11.25% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			6,872		7,704
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 11% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			7,810		8,757
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10.75% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			24,099		29,795
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 12.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।			67,070		9,079
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 12% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)**			0		11,169
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 12.25% वार्षिक की दर पर देय अस्थिर ब्याज दर तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)**			6,829		0
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 11.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर तिमाही किस्त पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय)।			2,246		4,632
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 11% वार्षिक देय चल ब्याज दर को अपनाते हुए तिमाही किस्तों पर 15 वर्षों तक प्रतिदेय**			0		60,784
(नवम्बर, 2006 से मार्च, 2018 तक 11.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			0		10,929
(नवम्बर, 2006 में मार्च, 2018 तक 12.5% वार्षिक देय चल ब्याज दर पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			7,762		0
भारतीय स्टेट बैंक (टिहरी पीएसपी के लिए) ##					
भारतीय स्टेट बैंक (अगस्त 2016 से मई 2026 तक आधार दर + 1.2% वार्षिक अर्थात् 10.90% देय चल ब्याज दर पर 10 वर्षों तक तिमाही किस्तों में देय)।			12,500		0
पंजाब नेशनल बैंक					
पंजाब नेशनल बैंक (चल ब्याज दर पर आधार दर + 1% अर्थात् 11.25% की दर पर)।			0		50,000
जोड़ (क)			**3,45,732**		**4,35,713**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
ख. अप्रतिभूत					
विदेशी मुद्रा ऋण $					
(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
केएफडब्ल्यू ऋण – 9831 (टिहरी एचपीपी के लिए)					
(जून, 2004 से दिसम्बर, 2013 तक ईयूआरआईबीओआर जमा 0.5% अतिरिक्त राशि प्रति वर्ष अर्थात 0.875% की चल 0ब्याज दर पर, अर्ध वार्षिक किस्तों में 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			0		1,892
केएफडब्ल्यू ऋण –2896 (टिहरी एचपीपी के लिए)					
(सितम्बर, 2004 से मार्च, 2014 तक 5.91% प्रति वर्ष की दर से नियत ब्याज दर पर अर्ध वार्षिक किस्त पर 10 वर्षों तक प्रतिदेय)।			0		400
विश्व बैंक ऋण (वी पी एच ई पी के लिए)					
(15 नवम्बर, 2017 से 15 नवम्बर, 2040 तक एलआईबीओआर + परिवर्तनीय विस्तारित वार्षिक दर अर्थात 0.99% ब्याज दर परय अर्ध वार्षिक किस्तों में 23 वर्षों तक प्रतिदेय)।			892		829
घरेलू ऋण (पीएसपी के लिए)					
भारतीय स्टेट बैंक (अगस्त, 2016 से मई, 2026 तक (मूल दर + 1.2% अर्थात 11.2% वार्षिक चल ब्याज दर पर तिमाही किस्तों में 10 वर्षों में प्रतिदेय)।			0		10,000
जोड़ (ख)			**892**		**13,121**
जोड़ (क+ख)			**3,46,624**		**4,48,834**

* टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, पावर हाउस इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल उपकरण पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित दीर्घावधि ऋण, अन्य उधारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप ऋण एवं ब्याज पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

** ऋण की इन किस्तों को वर्ष के दौरान पुनः नियत किया जाता है।

\# कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित दीर्घावधि ऋण।

\## टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित दीर्घावधि ऋण।

$ संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के अंतर्गत वित्तपोषित उपकरणों पर ऋणात्मक धारणाधिकार के साथ। इसमें वर्ष के दौरान किसी भी ऋण अथवा उस पर किसी ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी : 4

अन्य दीर्घावधि देयताएं

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं०	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के संबंध में आस्थगित राजस्व					
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार		28,331		28,331	
जोड़ें : वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित		5,441	22,890	0	28,331
देयताएं					
पूंजी व्यय के लिए		15		33	
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		1	16	4	37
संविदाकार आदि से जमाराशियां, प्रतिधारण राशि		455		385	
अन्य देयताएं		3	458	1	386
कुल			**23,364**		**28,754**

4.1 सीईआरसी विनियमन 2004–2009 के तहत टैरिफ के संघटक के रूप में अनुमत मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को बिक्रियों से घटाया गया था और उत्तरवर्ती वर्षों की बिक्रियों में समायोजित किए जाने वाले आस्थगित राजस्व के रूप में समझा गया था। सीईआरसी विनियमन 2009–2014 के अनुसार इसे 01.04.2009 से समाप्त कर दिया गया है।

टिप्पणी : 5
दीर्घावधि प्रावधान

राशि लाख ₹ में

(लघु कोष्ठक में आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 के लिए			31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	
I. निर्माण कार्य		0	0	0	0	0
II. कर्मचारियों से संबंधित		17,455	4,456	(1,501)	(332)	20,078
III. अन्य		1,077	0	(850)	0	227
जोड़		**18,532**	**4,456**	**(2,351)**	**(332)**	**20,305**
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आंकड़े		**16,788**	**3,066**	**(831)**	**(491)**	**18,532**

कर्मचारी हित लाभ पर ए एस–15 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी सं. 55 में किया गया है।

टिप्पणी : 6

अल्पावधि उधारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
क. प्रतिभूति ऋण :					
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अल्पावधि ऋण					
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (13% की दर पर अस्थिर ब्याज दर)			2,500		0
पावर वित्त निगम लिमिटेड (13.75 % की दर पर अस्थिर ब्याज दर)			0		20,000
बैंकों से नकदी क्रेडिट**					
पंजाब नेशनल बैंक (मूल दर + 1% प्रति वर्ष अर्थात 11.25% की दर पर चल ब्याज दर)			71,312		12,381
जोड़ (क)			**73,812**		**32,381**
ख. अप्रतिभूति ऋण :					
पावर वित्त निगम लिमिटेड (12.5% वार्षिक की दर पर चल ब्याज दर)			0		3,808
पावर वित्त निगम लिमिटेड (12.25 % वार्षिक की दर पर चल ब्याज दर)			0		3,769
पावर वित्त निगम लिमिटेड (12.75% वार्षिक की दर पर चल ब्याज दर***			25,000		0
केनरा बैंक (मूल दर प्रतिवर्ष अर्थात 10.25 % की चल ब्याज दर)			30,000		0
जोड़ (ख)			**55,000**		**7,577**
जोड़ (क + ख)			**1,28,812**		**39,958**

*टिहरी चरण–i तथा कोटेश्वर की परिसम्पत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के रूप में आरईसी से लिया गया 2500 लाख रुपए के अल्पावधि ऋण

** कम्पनी की परिसम्पत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के रूप में प्रतिभूत 71312 लाख रुपए की ओडी सीमा

*** निलम्बलेख खाते पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के रूप में पीएफसी से लिया गया रुपए 25000/–लाख का एस टी एल।

इसमें वर्ष के दौरान किन्हीं ऋणों अथवा उन पर किसी ब्याज की चुकौती में कोई चूक हुई नहीं है। इन अल्पावधि ऋणों को एक वर्ष के भीतर लौटाना होता है।

टिप्पणी : 7

व्यापार देय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं०	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
व्यापार देय – एमएसएमईडी			0		0
व्यापार देय – एमएसएमईडी से भिन्न			34		50
जोड़			**34**		**50**

टिप्पणी : 8

अन्य चालू देयताएं

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता*					
क. प्रतिभूत			52,480		50,729
जोड़ (क)			**52,480**		**50,729**
ख. अप्रतिभूत			**2,333**		**2,293**
विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
जोड़ (ख)			**2,333**		**2,293**
जोड़ (क + ख)			**54,813**		**53,022**
देयताएं					
पूंजी व्यय के लिए		6,377		5,077	
सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		1,147	7,524	2,063	7,140
संविदाकारों आदि से प्रतिधारण राशि जमाराशियां,		2,496		2,113	
अन्य देयताएं		1,107	3,603	713	2,826
उद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		6,146		6,457	
अन्य देयताएं		0	6,146	0	6,457
जोड़			**17,273**		**16,423**
कुल देयताएं			**72,086**		**69,445**

*ऊपर दर्शाए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता की चुकौती की अवधि के संबंध में ब्यौरा टिप्पणी–3 में दर्शाया गया है।

टिप्पणी : 9

अल्पावधि प्रावधान

राशि लाख ₹ में

(लघु कोष्ठक में आंकड़े घटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2012 के अनुसार	वर्ष 31 मार्च, 2013 के लिए			31 मार्च, 2013 के अनुसार
			परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	
I. निर्माण कार्य		1,882	262	(522)	(366)	1,256
II. कमर्चारियों से संबंधित		9,013	5,304	(3,087)	(1,221)	10,009
III. लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)		21,200	0	0	(21,200)	0
IV. लाभांश संवितरण कर (अंतरिम एवं अंतिम)		3,439	0	0	(3,439)	0
V. अन्य		3,598	9,608	(9,854)	(1,584)	1,766
जोड़		**39,130**	**15,174**	**(13,463)**	**(27,810)**	**13,031**
पूर्ववर्ती वर्ष हेतु आंकड़े		**18,370**	**46,872**	**(103)**	**(26,215)**	**39,130**

कर्मचारी हित लाभ पर ए एस–15 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 55 में किया गया है।

टिप्पणी : 10

अचल परिसम्पत्तियां

राशि लाख ₹ में
(लघु कोष्ठक में आंकड़े घटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2012 के अनुसार	अवधि के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2013 के अनुसार	1 अप्रैल, 2012 के अनुसार	01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 के वर्ष हेतु	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
01. लीज होल्ड भूमि	245	-	-	245	27	9	-	36	209	218
अन्य परिसंपत्तियां										
02.फ्री होल्ड भूमि	2,162	1,291	-	3,453	-	-	-	-	3,453	2,162
03.अवर्गीकृत भूमि	1,41,036	2,822	(16)	1,43,842	21,914	4,825	2	26,741	1,17,101	1,19,122
04.भवन	63,829	3,288	(23)	72,094	3,716	2,437	67	6,220	65,874	65,113
05.भवन अस्थायी ढांचे	939	29	-	968	939	29	-	968	-	-
06.सड़क, पुल और पुलिया	9,210	663	-	9,873	608	341	-	949	8,924	8,602
07.जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,265	132	(47)	1,350	225	70	(16)	279	1,071	1,040
08.निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	1,824	-	(5)	1,819	1,030	45	(4)	1,071	748	794
09.उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,31,260	1,446	(244)	2,32,462	37,176	12,290	55	49,5210	1,82,941	1,94,084
10. ईडीपी मशीनें	1,221	88	(26)	1,283	701	141	(21)	821	462	520
11. विद्युत संस्थापनाएं	811	7	-	818	103	52	-	155	663	708
12. पारेषण लाइन	1,798	17	-	1,815	344	98	-	442	1,373	1,454
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	3,616	255	(109)	3,762	1,015	237	(85)	1,167	2,595	2,601
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	1,478	102	(28)	1,552	393	91	(27)	457	1,095	1,085
15. वाहन	1,027	75	(14)	1,088	429	68	(6)	491	597	598
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	16	4	-	20	102	106
17. हाइड्रोलिक कार्य–बांध एवं स्पिलवे	4,99,180	4,094	(6)	5,03,268	86,471	26,594	215	1,13,280	3,89,988	4,12,709
18. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,37,056	400	-	1,37,456	28,117	7,258	36	35,411	1,02,045	1,08,939
19. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, में अप्रोज्यनीय/अप्रचलित आस्तिया	175	-	(120)	55	-	-	-	-	55	175
20. आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है।	2,615	-	-	2,615	2,354	59	-	2,413	202	261
उप–जोड़	**11,05,869**	**14,709**	**(638)**	**11,19,940**	**1,85,578**	**54,648**	**216**	**2,40,442**	**8,79,498**	**9,20,291**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**10,42,566**	**63,402**	**(99)**	**11,05,869**	**1,32,718**	**52,810**	**50**	**1,85,578**	**9,20,291**	**9,09,848**
अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां – साफ्टवेयर	322	15	-	337	186	42	-	228	109	136
उप–जोड़	**322**	**15**	**-**	**337**	**186**	**42**	**-**	**228**	**109**	**136**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**267**	**55**	**-**	**322**	**138**	**48**	**-**	**186**	**136**	**129**
मूल्यह्रास का ब्यौरा					चालू वर्ष		गत वर्ष			
ईडीसी को अंतरित मूल्यह्रास					491		970			
लाभ–हानि लेखा को अंतरित मूल्यह्रास					47,435		45,080			
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान–आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन					6,764	54,690	6,808	52858		
वर्ष के दौरान 1500.00 रुपए से अधिक परंतु 5000.00 रुपए से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की					19		18			

10.1 कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने तक ₹ 60 लाख की राशि के 112.928 एकड़ माप की फ्री होल्ड भूमि के हक विलेखों (पूर्ववर्ती वर्ष 114.218 एकड़, जो ₹ 70 लाख राशि की है) को कंपनी के नाम में अभी पंजीकृत किया जाना है।

10.2 आईसीएआई की विशेष सलाह समिति (ई ए सी) ने राय दी है कि उन परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है, को जब भी उद्भूत हो, लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाना है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अभ्यावेदन किया है कि इस तरह का व्यय परियोजना के व्यवस्थापन हेतु अनिवार्य है, इसे मौजूदा लेखाकरण प्रक्रियाओं की दिशा में लिया जाए। राय पर पुनर्विचार के संबंध में आईसीएआई से पत्र प्राप्त होने तक मौजूदा प्रतिपादन को संगत लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार जारी रखा गया है।

टिप्पणी : 11

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2012 के अनुसार	वर्ष 31 मार्च, 2013 के लिए			31 मार्च, 2013 के अनुसार
			वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		4,080	1,519	(1)	(1,035)	4,563
सड़क, पुल तथा पुलिया		2,272	1,485	(98)	(570)	3,089
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		131	-	-	(96)	35
उत्पादन संयंत्र एंव मशीनरी		63	9,102	(388)	(104)	8,673
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जलमार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		41,538	10,583	(5,051)	-	47,070
जलागम क्षेत्र वनीकरण		8	-	-	-	8
विद्युत संस्थापना तथा उपकेंद्र उपकरण		15	1,249	-	-	1,264
उन परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं		-	-	-	-	-
अन्य		314	123	(35)	-	402
उत्पादन संयंत्र एवं मार्गस्थ मशीनरी		217	159	(376)	-	-
निरीक्षणाधीन उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		-	-	-	-	-
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण एवं विकास खर्च		5,535	581	(3,800)	-	9,916
विनिमय परिवर्तन		-	59	(59)	-	-
आबंटन होने तक ब्याज	23	-	10	(10)	-	-
निर्माण के दौरान व्यय	11.1	1,159	(182)			977
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत एवं किराए के संबंध में वसूलियां घटाकर)		1,749	785	-	(12)	2,522
उप–जोड़		**57,081**	**25,473**	**(2,218)**	**(1,817)**	**78,519**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**83,471**	**58,103**	**(30,130)**	**(54,363)**	**57,081**
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
उप–जोड़		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

टिप्पणी : 11.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु	
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22	7,794		9,347	
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		486		721	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		395		448	
पेंशन निधि		520		805	
उपदान		124	9,319	182	11,503
कल्याण					
अन्य व्यय	24				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		75		90	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		343	418	426	516
दर एवं कर			4		21
विद्युत एवं ईंधन			419		371
बीमा			5		14
संचार			98		138
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		0		2	
भवन		92	238	229	623
अन्य		146		392	
यात्रा एवं वाहन			350		403
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			157		341
सुरक्षा			133		341
प्रचार तथा जनसंपर्क			64		107
अन्य सामान्य व्यय			535		948
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			3		1
सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय			0		33
अनुसंधान एवं विकास व्यय			0		61
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			1		1
मूल्यह्रास	10		491		970
कुल व्यय (क)			**12,235**		**16,392**
प्राप्तियां					
अन्य आय					
ब्याज	21				
बैंक में जमाराशियों से		10		17	122
कर्मचारियों से		71		104	
अन्यों से		3	84	1	
मशीन किराया प्रभार			0		18
किराया प्राप्तियां			77		78

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु	
फुटकर प्राप्तियां			143		65
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			160		428
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			1		20
कुल प्राप्तियां (ख)			**465**		**731**
पूर्वावधि समायोजन	26		**4**		**10**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**11,774**		**15,671**
कराधान के लिए प्रावधान	27				
धन कर		6	6	14	14
कराधान सहित निवल व्यय			**11,780**		**15,685**
पिछले वर्ष से अग्रेनीत शेष			1,159		546
कुल ईडीसी			**12,939**		**16,231**
घटाएं :–					
सी डब्ल्यू आई पी को आबंटित ई डी सी/परिसंपत्ति		11,199		14,476	
अनुमोदनाधीन परियोजनाओं की ई डी सी जो		763	11962	596	15,072
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित हैं					
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेनीत शेष			**977**		**1,159**

टिप्पणी : 12

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
आस्थगित कर देयता		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसपंत्ति		34,476	31,501	29,104	26,129
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
जोड़			**25,188**		**19,816**

टिप्पणी : 13

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के प्रति		4,208		4,249	
ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		10,757		13,859	
iii) अन्य		23,154		20,807	
iv) अग्रिमों पर उद्भूत ब्याज		8,445	46,564	6,547	45,462
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान			0		0
उप–जोड़ : पूंजीगत अग्रिम			**46,564**		**45,462**
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,670		2,653	
अप्रतिभूत		812	3,482	235	2,888
कर्मचारियों को ऋणों पर उद्भूत ब्याज					
प्रतिभूत		1,988		1,868	
अप्रतिभूत		59	2,047	14	1,882
निदेशकों को ऋणों पर उदभूत ब्याज					
प्रतिभूत		4		5	
अप्रतिभूत		0	4	0	5
अन्य					
अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया		0	0	9	9
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकदी या वस्तुओं के रूप में वसूली योग्य अग्रिम अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों को		182		90	
निदेशकों को		0		0	
क्रय हेतु		1		1	
अन्यों हेतु		6,982	7,165	6,740	6,831
जमाराशियां					
प्रतिभूति जमा		190		257	4
सरकार के पास/न्यायालय में जमाराशियां		300		267	
अन्य जमाराशियां		1	491	1	525
उप–जोड़			**13,189**		**12,140**
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान			9		9
उप–जोड़ – अग्रिम			**13,180**		**12,131**
कुल ऋण और अग्रिम			**59,744**		**57,593**
टिप्पणी : निदेशकों से देय					
मूल			0		0
ब्याज			4		5
जोड़			**4**		**5**
टिप्पणी : अधिकारियों से देय					
मूल			1		1
ब्याज			5		5
कुल			**6**		**6**

टिप्पणी : 14
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
निर्माण भंडार					
(भारित औसत आधार पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल एवं भवन सामग्री		0		29	
अन्य		6		438	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0	6	0	467
उप–जोड़			**6**		**467**
पूर्वप्रदत्त व्यय		43		48	
उपगत ब्याज परंतु देय नहीं		0	43	0	48
उप–जोड़			**43**		**48**
जोड़			**49**		**515**

टिप्पणी : 15
वस्तुसूचियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
वस्तुसूचियां					
(भारित औसत आधार पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल एवं भवन सामग्री		176		173	
अन्य		2,653		1,802	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		41	2870	9	1,964
घटाएं : अन्य भंडारों हेतु प्रावधान			312		324
जोड़			**2,558**		**1,660**

टिप्पणी : 16
व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
छह महीने से अधिक बकाया ऋण					
अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया		1,00,958		1,00,958	
संदिग्ध समझा गया		0	1,09,990	10	1,00,968
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		10
अन्य ऋण					
अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया		1,20,711		89,939	
संदिग्ध समझ गया		0	1,20,711	0	89,939
जोड़			**2,30,701**		**1,90,897**

टिप्पणी : 17
नगदी एवं बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
नगदी एवं नगदी समतुल्य					
बैंकों में शेष (बैंकों में ऑटो स्वीप फ्लैक्सी जमा सहित)			1,556		13,553
हस्तगत चैक, ड्राफ्ट, स्टांप			0		0
हस्तगत नकदी			3		2
अन्य बैंक शेष					
अन्य (धारणाधिकार के तहत बैंक में शेष जो कंपनी के प्रयोग हेतु उपलब्ध नहीं है)			50		232
योग			**1,609**		**13,787**

टिप्पणी : 18

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		553		485	
अप्रतिभूत		58	611	25	510
कर्मचारियों को ऋणों पर उद्भूत ब्याज					
प्रतिभूत		86		67	
अप्रतिभूत		1	87	1	68
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		0		1	
अप्रतिभूत		0	0	0	1
निदेशकों को ऋणों पर उद्भूत ब्याज					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0	1	0	1
अन्य					
प्रतिभूत, शोध्य समझा गया					
अप्रतिभूत शोध्य समझा गया		16	16	0	0
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकदी में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य की किस्म में अथवा मूल्य पर वसूलीयोग्य अग्रिम)					
कर्मचारियों को		278		206	
निदेशकों को		0		0	
क्रय हेतु		344		501	
अन्यों हेतु		399	1,021	1480	2,187
जमाराशियां					
प्रतिभूति जमाराशि		79		1	
कर जमाराशि		720		126	
सरकार के पास/न्यायालय में जमाराशि		210		252	
अन्य जमाराशि		0	1,009	0	379
उप–जोड़			**2,745**		**3,146**
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
कुल अग्रिम			**2,745**		**3,146**
कुल ऋण एवं अग्रिम			**2,745**		**3,146**
टिप्पणी : निदेशकों से देय					
मूल			0		1
ब्याज			1		1
कुल			**1**		**2**
टिप्पणी : अधिकारियों से देय					
मूल			1		1
ब्याज			0		0
कुल			**1**		**1**

टिप्पणी : 19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 2012 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय			684		469
उद्भूत ब्याज			1		26
कुल			**685**		**495**

टिप्पणी : 20

प्रचालनों से राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
ऊर्जा बिक्री		1,87,741		2,02,238	
जोड़ें:					
मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम		5,441		0	
घटाएं :					
मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम – आस्थगित		0	1,93,182	0	2,02,238
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली			576		433
यू आई/संकुलन प्रभार			1,770		1,660
परामर्शी आय			86		227
कुल			**1,95,614**		**2,04,558**

20.1. (i) माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने टिहरी एचपीपी चरण–I (1000 मेगावाट) के संबंध में 22.09.2006 में 31.3.2009 की अवधि के लिए प्रशुल्क आदेश दिनांकित 16.04.2013 जारी किया है। आदेश के दृष्टिगत, उक्त अवधि के लिए पहले ही स्वीकृत राजस्व पुनरीक्षित किया गया है तथा इस अवधि के लिए उक्त प्रशुल्क आदेश के अनुसार 5441 लाख रुपए के एएडी पर विचार करने के पश्चात पुनरीक्षित राजस्व एवं प्रोत्साहन (–11217 लाख रुपए) के लिए बिल प्रस्तुत किए गए हैं तथा उनका लेखाकरण चालू वर्ष में किया गया है।

2009–14 की अवधि के लिए प्रशुल्क याचिका 4 नवम्बर, 2011 को माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। तथापि दिनांक 16.04.2013 के प्रशुल्क आदेश में उल्लिखित सिद्धान्तों के समनुरूप, 2009–14 की अवधि के लिए प्रशुल्क याचिका प्रारूप पुनरीक्षित किए गए हैं तथा (i) 2011–12 तक उपगत लेखापरीक्षित व्यय, (ii) 2012–13 के लिए वास्तविक अनंतिम व्यय, तथा (iii) 2013–14 के लिए बजटबद्ध व्यय को विचार में लेते हुए उन्हें सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणित कराया गया है। तदनुसार 2009–10 से 2011–12 की अवधि के लिए राजस्व को संशोधित किया गया है तथा चालू वर्ष में उसके प्रभाव (–2709 लाख रुपए) को मान्य किया गया है।

तथापि, कम्पनी को 16.04.2013 के प्रशुल्क आदेश में माननीय सीईआरसी द्वारा विचारित अनेक मुद्दों से शिकायत है तथा इसने 29.05.2013 को माननीय सीईआरसी के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की है। पुनर्विचार याचिका पर अभी सीईआरसी द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है।

कम्पनी ने चालू वर्ष में 138064 लाख रुपए (विगत वर्ष 161938 लाख रुपए) की बिक्री के बिल तैयार किए हैं। 2009–14 की अवधि के लिए माननीय सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क निर्धारण के लम्बित रहते वर्ष 2012–13 के लिए राजस्व को अनंतिम रूप से अभिस्वीकृत किया गया है। माननीय सीईआरसी द्वारा दिनांक 28.12.2006 के आदेश (याचिका 63/2006) तथा दिनांक 28.3.2008 के आदेश के तहत अनुमत अनंतिम प्रशुल्क के अनुसार 2009–14 की अवधि के लिए प्रशुल्क को अंतिम रूप दिया जाना लम्बित रहने तथा माननीय सीईआरसी विनियम, 2009 के आधार पर परिकलित एएफसी के अनुसार बिक्री के बीच परिवर्ती बिल तैयार किए जाने के कारण देनदारों के पास 85085 लाख रुपए (विगत वर्ष 99601 लाख रुपए) की राशि शामिल है।

(ii) कम्पनी ने दिनांक 16.04.2013 के प्रशुल्क आदेश के जारी होने के पश्चात् प्रस्तुत 2006–09 की अवधि के लिए प्रोत्साहन तथा ऊर्जा के बिलों पर सीईआरसी विनियम के समनुरूप 4341 लाख रुपए का ब्याज अर्जित किया है। इसका ब्याज आय में लेखाकरण कर दिया गया है तथा इसे टिप्पणी 21 में दर्शाया गया है।

(iii) सीईआरसी प्रशुल्क विनियम 2009 के अनुसार, कोटेश्वर परियोजना हेतु कम्पनी ने 31.03.2012 तक परियोजना पर उपगत किए जाने वाले प्रत्याशित व्यय तथा परियोजना के चार एककों के लिए तब प्रत्याशित सीओडी को विचार में लेते हुए 2011–14 की अवधि के लिए वार्षिक नियत लागत परिकलित की थी। तदनुसार, 28 फरवरी, 2011 तथा 01 मार्च, 2011 को आयोजित 18वीं टीसीसी तथा 20वीं एनआरपीसी बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि टीएचडीसीआरएल द्वारा यथा प्रस्तावित के अनुसार माननीय सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क निर्धारण के लम्बित रहते एएफसी के 80 % का भुगतान लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा।

बाद में, कोटेश्वर एचईपी की टैरिफ याचिका को अवधि 2011–14 के लिए 01.04.2011 और 26.10.2011 के रूप में यूनिट–1 और यूनिट–2 के वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीखों पर विचार करते हुए और क्रमशः 01.03.2012 और 01.04.2012 के रूप में यूनिट–3 और यूनिट–4 के वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तारीखों पर विचार करते हुए तैयार किया गया था। विधिवत रूप से लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित टैरिफ फाइलिंग फार्मों में टैरिफ याचिका को सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009 में निरूपित नियमों का पालन करते हुए माननीय सीईआरसी को 30.03.2012 को प्रस्तुत किया गया है।

कोटेश्वर एचईपी की सभी चार इकाइयों का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष 2011–12 में शुरू हो गया था। माननीय सीईआरसी ने वास्तविक सीओडी तथा वास्तविक व्यय पर आधारित प्रशुल्क प्रारूप अद्यतन करने की इच्छा व्यक्त की, अतः प्रशुल्क प्रारूपों को वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणित कराया गया तथा 08.02.2013 को सीईआरसी को प्रस्तुत किया गया।

तदुनुसार, प्रशुल्क निर्धारण लम्बित रहते 08.2.2013 को माननीय सीईआरसी को प्रस्तुत लेखापरीक्षित तथा प्रमाणित एएफसी पर आधारित वित्त वर्ष 2012–13 के लेखों में राजस्व को अनंतिम रूप से अभिस्वीकृत किया गया है। कंपनी ने रुपए 55062 लाख (विगत वर्ष 40300 लाख रुपए) के लिए बिलयुक्त बिक्रियां की हैं। देनदारों के पास सीईआरसी विनियमनों और अनंतिम प्रशुल्क के अनुसार जैसा कि 18वीं टीसीसी और 20वीं एनआरपीसी बैठकों में लिए गए निर्णय के आधार पर परिकलित एएफसी बिक्रियों के बीच अंतर बिलिंग के संबंध में 27188 लाख रुपए (विगत वर्ष 16068 लाख रुपए) शामिल है।

टिप्पणी : 21

अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक में जमा राशियों पर (जिसमें टीडीएस रुपए 27793.00 पूर्ववर्ती वर्ष रुपए 271361.00 शामिल हैं)		48		67	
कर्मचारियों से		307		232	
अन्य		4,366	4,721	9	308
मशीन किराया प्रभार			9		19
किराया प्राप्तियां			165		136
विविध प्राप्तियां			303		210
प्रावधान की गई अधिक राशियों का पुनरांकन			630		479
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			55		56
विलंबित भुगतान अधिभार			1,621		473
कुल			**7,504**		**1,681**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		465		731
कुल			**7,039**		**950**

टिप्पणी : 22

कर्मचारी लाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			23,559		21,756
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान			1,492		1,631
पेंशन निधि			1,081		1,023
उपदान			1,807		1,709
कल्याण खर्चे			703		379
कुल			**28,642**		**26,498**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		9,319		11,503
कुल			**19,323**		**14,995**

टिप्पणी : 23

वित्त लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
ऋणों पर ब्याज			62,214		61,771
कुल			**62,214**		**61,771**
घटाएं :					
अंतरित एवं सीडब्ल्यूआईपी खाते में पूंजीकृत			1,704		8,598
कुल			**60,510**		**53,173**

टिप्पणी : 24

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		133		129	
कर्मचारी आवास किराया		710	843	648	777
दर एवं कर			106		390
विद्युत एवं ईंधन			1,507		1,338
बीमा			1,113		648
संचार			325		278
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,932		1,270	
भवन		1,001		845	
अन्य		1,664	4,597	1,143	3,258
यात्रा एवं वाहन किराया			886		802
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,019		927
प्रतिभूति			1,885		1,587
प्रचार तथा जनसंपर्क			208		180
अन्य सामान्य व्यय			1,766		1,972
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			195		12
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			806		680
अनुसंधान एवं विकास			397		61
सतत विकास व्यय			121		0
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			51		692
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			10		12
निगम की सीएसआर गतिविधियों पर व्यय			1,605		1,358
ग्राहकों को छूट			173		721
कुल			**17,613**		**15,693**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		2,425		3,919
कुल			**15,188**		**11,774**

टिप्पणी : 25

प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
अशोध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
भंडारों तथा कल–पुर्जों के लिए प्रावधान			24		156
कुल			**24**		**156**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
कुल			**24**		**156**

टिप्पणी : 26

पूर्वावधि आय/व्यय (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय :					
विविध प्राप्ति		0	0	0	0
व्यय :					
कार्मिक व्यय		1		0	
अन्य सामान्य व्यय		0		30	
मूल्यह्रास		384		75	
प्रतिभूति		0		1	
विविध–अन्य		41	426	0	106
उप–जोड़			**426**		**106**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		4		10
कुल			**422**		**96**

टिप्पणी : 27

कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			11,953		16,290
उप–जोड़			**11,953**		**16,290**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
कुल			**11,953**		**16,290**
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			38		99
उप–जोड़			**38**		**99**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		6		14
कुल			**32**		**85**

28. पूंजीगत खातों में निष्पादन किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, (अग्रिम निवल) 178918 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 189582 लाख रुपए) है।

29. **आकस्मिक देयताएं**

राशि लाख ₹ में

		2012–13	2011–12
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जो ऋणों के रूप में अभिज्ञात न हों : माध्यस्थम/न्यायालय संबंधी मामलों में 260 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 239 लाख रुपए) शामिल है, जिन्हें विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय मामलों में कंपनी के प्रति डिक्री किया गया है और कंपनी द्वारा जमा किया गया है परंतु ये अपीलों में विवादित है।	229245	131696
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्यिक कर, प्रविष्टि कर, में कंपनी द्वारा जमा किए गए 179 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष के 07 लाख रुपए) शामिल है, परंतु अपील मे विवादित है	722	566
(iii)	अन्य (संविदाकारों के दावे आदि)	207	5924

(iv) कर्मचारियों/विस्थापितों एवं अन्यों द्वारा दायर किए गए दावों/न्यायालय मामलों में देयताओं, यदि कोई हों, की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

30. कम्पनी ने 2951 लाख रुपए (विगत वर्ष 2498 लाख रुपए) की ''संविदाकारों से जमा राशियां, प्रतिधारण धन राशि'' के अलावा एफडीआर/सीडीआर के रूप में ईएमडी/प्रतिभूत जमाराशि भी स्वीकार की जैसा कि, टिप्पणी 4 और टिप्पणी 8 में दर्शाया गया है।

31. i) कंपनी के पास विद्युत के विभिन्न लाभार्थियों से 4713 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 4631 लाख रुपए) की राशि के भुगतान हेतु प्रतिकर प्रतिभूति के रूप में पुष्टीकृत साख पत्र (एल सी) है।

ii) वर्ष के दौरान कम्पनी ने उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश को पूरा करने हेतु 100000 लाख रुपए की ओडी सीमा के प्रति प्रतिभूति जमाराशि के रूप में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी 29 लाख रुपए की राशि की बैंक गारंटी दी है। इसलिए 31.03.2013 के अनुसार ओडी सीमा के प्रयोग हेतु उपलब्ध शेष 99971 लाख रू. है।

32. i) नये टिहरी नगर में सरकारी/अर्ध–सरकारी विभागों को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए 7800.00 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी और यह राशि उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से वसूलनीय थी। भारत सरकार (जीओआई) की मंजूरी के अनुसार 7800 लाख रुपए के मियादी ऋण को वर्ष 2005–06 में उत्तराखंड सरकार की ओर से पंजाब नेशनल बैंक से लिया गया था। राशि को ब्याज के साथ उत्तराखंड सरकार से टिहरी एचईपी चरण–I से 12% निःशुल्क विद्युत के उनके शेयर से वसूल किया जाना है।

सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2009 को आयोजित संयुक्त बैठक में पारस्परिक रूप से यह तय किया गया था कि उत्तराखंड सरकार, टीएचडीसी द्वारा बांध के निर्माण में प्रयुक्त क्ले/शेल सामग्री पर रॉयल्टी के संबंध में टीएचडीसी से देय राशि को समायोजित करने के बाद आवासीय/गैर आवासीय भवनों के लिए उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त स्थान के संबंध में देय 7800 लाख रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा, यह सहमति हुई थी कि आपसी समझौता होने से न तो उत्तराखंड सरकार, न ही टीएचडीसी एक–दूसरे को देय राशियों पर ब्याज लगाएगी। तदनुसार, उत्तराखंड सरकार से वसूलीय 1857 लाख रुपए के ब्याज को समायोजित किया गया है। आगे यह भी निर्णय लिया गया था कि रायल्टी प्रभारों की राशि को टीएचडीसी द्वारा यथा उपलब्ध वास्तविक मात्राओं के आधार पर निकाला जाएगा। रायल्टी को परिकलित किया गया है, जो 3820 लाख रुपए बैठती है। 1920 लाख रुपए की शेष राशि को डी एम के पास 1900 लाख रुपए की जमा की गई राशि को कम करने के बाद 7800 लाख रुपए के प्रति समायोजित किया गया है और 5880 लाख रुपए की शेष राशि को टिप्पणी–13 में उत्तराखंड सरकार से वसूलनीय के रूप में दर्शाया गया है। मामले पर संयुक्त सचिव (हाइड्रो) की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2010 को आयोजित बैठक में आगे चर्चा की गई थी, जिसमें उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वस्त किया कि राशि को शीघ्र जारी करने के लिए मामले को राज्य वित्त विभाग के समक्ष उठाया जाएगा।

कंपनी ने 6449 लाख रुपए की रायल्टी एवं ब्याज राशि की वसूली के स्थगन हेतु एक रिट याचिका, उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर की थी। तथापि, 27.03.2009 को आयोजित संयुक्त बैठक के परिणामस्वरूप, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नैनीताल उच्च न्यायालय में रिट याचिका को वापस लेने के लिए मामले को जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) टिहरी के समक्ष उठाया गया है। आगे, कंपनी ने दिनांक 25.05.2009, 21.07.2009 और

04.03.2010 के पत्रों के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव से 27.03.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। उत्तराखंड की सरकार ने दिनांक 27.03.2009 के कार्यवृत्त के अनुसार कंपनी द्वारा दायर किए गए हलफनामे पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। इस मामले पर माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है। हालांकि, लेखाबहियों में आवश्यक समायोजन कर दिए गए हैं।

ii) जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ने दिनांक 12.03.2013 के आदेश के तहत टीएचडीसी इडिंया लि., टिहरी को 1900 लाख रुपए काटने के पश्चात जिस का भुगतान टीएचडीसीआईएल द्वारा रॉयल्टी के लिए पहले ही कर दिया गया था तथा साथ ही टीएचडीसीआईएल के द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त स्थान के लिए 7800 लाख रूपए का समायोजन करने के पश्चात् रॉयल्टी के भुगतान के लिए 17002 लाख रुपए की राशि जमा करने हेतु कहा है। इसी प्रकार, कोटेश्वर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए 2829 लाख रुपए की राशि की रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा एक अन्य आदेश दिनांकित 19.03.2013 भी पारित किया गया था।

व्यथित होकर टीएचडीसीआईएल ने अप्रैल, 2013 में नैनीताल में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष दो नई रिट याचिकाएं दायर की– एक टिहरी परियोजना के मामले में (2013 की रिट याचिका सं. 826) तथा एक अन्य कोटेश्वर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के मामले में (2013 की रिट याचिका सं. 832) 17.04.2013 को इन रिट याचिकाओं के संबंध में न्यायालय द्वारा दो पृथक आदेश पारित किए गए।

टिहरी परियोजना के संबंध में माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता अर्थात् टीएचडीसीआईएल के लिए अन्य बातों के अलावा यह आदेश पारित किया कि वह समार्हता के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक गारंटी द्वारा 3440 लाख रुपए की रॉयल्टी राशि को प्रतिभूत करे तथा आदेश में दिए गए शेष दावे को समाहर्ता के पक्ष में साधारण बांड प्रस्तुत कर प्रतिभूत करे।

इसी प्रकार कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के मामले में आदेशानुसार 309 लाख रुपए की राशि को बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत किया गया था तथा शेष दावे को समाहर्ता के पक्ष में साधारण बांड प्रस्तुत कर प्रतिभूत किया जाना था।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, टिहरी गढ़वाल ने जिलाधिकारी के आदेशों के प्रचालक को आदेश की तिथि से पंद्रह दिन की अवधि के लिए बिना शर्त तथा तत्पश्चात इन रिट याचिकाओं के निपटान तक सशर्त स्थगित कर दिया है यदि टीएचडीसीआईएल द्वारा उक्त प्रतिभूति निर्धारित समय के उपलब्ध कर दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 17.04.2013 के आदेश के अनुपालन में, टीएचडीसीएल ने टिहरी परियोजना के संबंध में 3440 लाख रुपए की बैंक गारंटी तथा 13562 लाख रुपए की राशि के लिए बांड तथा कोटेश्वर परियोजना के संबंध में 309 लाख रुपए की राशि की बैंक गारंटी तथा 2520 लाख रुपए की राशि के बांड पहले ही जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को प्रस्तुत कर दिया है।

इस तथ्य के दृष्टिगत, उक्त याचिकाएं अभी भी न्यायाधीन हैं। अतः अतिरिक्त स्थल से संबंधित 5880 लाख रुपए की राशि को वसूलनीय के रूप में दर्शाया गया है।

33. (i) वर्ष हेतु उधार ली गई निधियों पर उपगत कुल ब्याज एवं अन्य लागत 53414 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 56072 लाख रुपए) है। वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधारी लागत की राशि वर्ष के दौरान उधार ली गई अतिरिक्त निधियों की अन्य अवधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज के संबंध में शून्य लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 17 लाख रुपए) की राशि के समायोजन के बाद 1704 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 8598 लाख रुपए) है।

(ii) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा घटबढ़ राशि, जो 144 लाख रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 467 लाख रुपए) है, को पूंजीगत कार्य प्रगति में/परिसंपत्तियों हेतु समायोजित किया गया है।

34. दिनांक 05.04.2011 के कारपोरेट कार्मिक परिपत्र संख्या 05/2011 के अनुसार अधिवर्षिता लाभ के संबंध में नियोक्ता का अंशदान 01.01.2007 से कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 30% होगा। इसमें कर्मचारी का भविष्य निधि (ईपीएफ), उपदान और सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधाओं में पेंशन की अंशदायी योजना शामिल होगी। पेंशन योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के लगभग 10% की पेंशन निधि का प्रावधान लेखों में किया गया है।

35. (i) चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पुनर्वास खर्चों परियोजना में कार्यों के निष्पादन/विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहीत की गई 600.09 एकड़ (पिछले वर्ष 600.09 एकड़) जमीन की लागत के लिए 497 लाख रुपए (गत वर्ष 497 लाख रुपए) की राशि शामिल है।

आगे, टिहरी एचपीपी चरण–I से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी और ईडीसी के पुनर्वास के लिए 2797 लाख रुपए (गत वर्ष 5977 लाख रुपए) वर्ष 2012–13 के दौरान पूंजीकृत किए गए, जिसमें पुनर्वास हेतु 600.09 एकड़ (गत वर्ष 600.09 एकड) जमीन के अधिग्रहण के लिए 3 लाख रुपए (गत वर्ष 766 लाख रुपए) शामिल हैं।

(ii) पुनर्स्थापन के लिए नये स्थानों पर विस्थापितों को आबंटित संपत्ति का पंजीकरण चल रहा है और इसकी देख. रेख उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जिसे बांध के विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश संख्या एफ. सं. 8–3/89 एफसी के अनुसरण में उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जीआई 186/7–1–2002–300 (459)/88 के अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के निर्माण के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के डाइवर्जन का आदेश जारी किया है। 337.057 हेक्टेयर के लिए पट्टा विलेख उत्तराखंड सरकार के साथ 01.01.2003 को निष्पादित किया जा चुका है। 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पट्टा विलेख, जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लंबित है तथा पट्टा धारण भूमि के तौर पर दिखाया गया है। 338.932 हेक्टेयर में से 218.307 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आती है और बांध के पूरा होने पर पूंजीकृत किए जाने के लिए पुनर्वास के अंतर्गत दिखाई गई है। डूब क्षेत्र के ऊपर 120.625 हेक्टेयर भूमि के बारे में 68 लाख रुपए की राशि को 30 वर्षों में परिशोधित किया जा रहा है।

(iv) कोटेश्वर बांध परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का हिसाब एक रुपए की सांकेतिक कीमत पर लगाया है।

(v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29.04.2008 के आदेश संख्या 08बी/यूसीपी/06/312/2006/एफसी/144 द्वारा विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना में सड़क बनाने के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए 5.75 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए पट्टा प्रीमियम अदा कर दिया गया है। इस भूमि को लीज होल्ड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन, इसके बारे में कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

(vi) कम्पनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए जलाशय, परियोजना कार्य, कालोनी, विविध कार्यों इत्यादि के लिए अधिग्रहीत निजी भूमि 3151.78 हेक्टेयर है जिसमें से 2150.967 हेक्टेयर भूमि का हक विलेख अभी कम्पनी के नाम में प्रविष्ट किया जाना शेष है।

36. वास्तविक लागत के अभाव में वास्तविक सत्यापन के दौरान अधिक पाई कुछ परिसंपत्तियों को 1/– रुपए प्रत्येक के सांकेतिक मूल्य पर दर्ज किया गया है।

37. देनदारों, लेनदारों तथा संक्रमणाधीन/संविदाकारों के पास सामग्री के अंतर्गत दिखाए गए कुछ शेष पुष्टि/समाधान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन हैं।

38. (i) कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर बने 43 फ्लैट (गत वर्ष 45 फ्लैट) विभिन्न व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में है। भारत सरकार ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त किए हैं। आगे, कंपनी द्वारा कानूनी कार्रवाई की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ii) 26 ईसी रोड, देहरादून में 20 लाख रुपए कीमत से टीएचडीसी परिसर में बने आवागमन कैम्प का इस्तेमाल टीएचडीसी तथा उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना/केएचईपी के पुनर्वास कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ये परिसंपत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

(iii) फ्री होल्ड भूमि में 0.458 हेक्टेयर भूमि शामिल है जो सौतियाल गांव में है और जिस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

(iv) टीएचडीसी कार्यालय परिसर, बाईपास रोड, ऋषिकेश में बने लगभग 380 वर्गमीटर का कार्यालय भवन क्षेत्र जिसकी कीमत का अभी पता लगाया जाना है, को टीएचडीसी और उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना/केएचईपी के पुनर्वास कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ऐसी परिसंपत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

39. संस्था के अंतर्नियमों के खंड संख्या 61 (ख) के अनुसार सिंचाई क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुरक्षण खर्च कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए जाने है। पारस्परिक सहमति होने तक इसे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिदेय रूप में नहीं दर्शाया गया है।

40. वर्ष 2007–08 और 2011–12 के दौरान क्रमशः टिहरी एचपीपी–1 और केएचईपी ने उत्पादन स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है। प्रबंधन का मत है कि टिहरी एचपीपी–1 और के एचईपी द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस) 28 की दृष्टि से वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।

41. (i) विद्युत उत्पादन इस कंपनी की मूल व्यापारिक गतिविधि है। अन्य प्रचालन, जैसे परामर्शी कार्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक–17 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने लायक खंड नहीं हैं।

(ii) कंपनी के विद्युत केंद्र देश के भीतर ही स्थित हैं। अतः इसके लिए भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

42. **संबद्ध पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण :**

लेखाकरण मानक–18 से संबद्ध ''पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण'' में की गई अपेक्षा के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन. देन का ब्यौरा इस प्रकार है :

क) संबद्ध पक्षकार – प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक :

1.	श्री आर. एस. टी. शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री सी. पी. सिंह	निदेशक (वित्त)
3.	श्री डी. वी. सिंह	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री एस. के. बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)
5.	श्री ए. एस. बिष्ट	पूर्व–निदेशक (कार्मिक)

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़कर) – शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक एवं भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान, अन्य लाभ एवं व्यय निम्नवत हैं :

राशि लाख ₹ में

		2012–13	2011–12
(I)	वेतन एवं भत्ते	108	137
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	7	10
(iii)	अन्य लाभ	50	75
(iv)	स्वतंत्र निदेशक शुल्क एवं खर्चे	24	13
(v)	निदेशकों के यात्रा व्यय	19	22
(vi)	पेंशन निधि	4	2
	कुल	**212**	**259**

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को 780/–रुपए प्रति माह के भुगतान पर निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के इस्तेमाल की अनुमति है (जैसा कि उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग के परिपत्र संख्या 2(53)/90–डीपीई (डब्ल्यूसी)– जीआईवी, दिनांक 26 मार्च, 1999 के अनुसार अनुप्रयोज्य है)। आगे, दिनांक 21, जनवरी, 2013 के परिपत्र सं– 2(23)/11–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल– V/13 के अनुसार, उपर्युक्त राशि को बढ़ाकर फरवरी, 2013 से 2000/– रु– प्रति माह कर दिया गया है।

घ) टीएचडीसीआईएल, एनपीसीआईएल का संयुक्त उद्यम गठित किया जाना है जैसा कि टिप्पणी संख्या 48(i) में प्रकट किया गया है।

43. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और परिवर्तित

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और परिवर्तित) इस प्रकार हैं :

	2012–13	2011–12
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपए)	53138	70383
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	मूल : 33660524 परिवर्तित : 33660524	मूल : 32975817 परिवर्तित : 32978276
प्रतिशेयर आय रुपए मूल	157.86	213.44
परिवर्तित	157.86	213.42
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

44. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखांकन'' के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में 5372 लाख रुपए (गत वर्ष 6524 लाख रुपए) जो कि आस्थगित देयता में वृद्धि को दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार चालू कर का भाग है और वापस नहीं की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है :

लाख ₹ में

क्र.सं.		31.03.2013	31.03.2012
	आस्थगित कर देयता (क)		
(i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	0
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)		
(ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	19650	13116
(iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	7859	9625
(iv)	भंडारों के लिए प्रावधान	166	0
(v)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0	158
(vi)	कर्मचारी हित योजनाओं के लिए प्रावधान	3826	3230
	शुद्ध आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्तियां) (क–ख)	**(31501)**	**(26129)**

45.i) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2012–13 के दौरान 2011–12 के कर पूर्व लाभ का 2% की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए व्यय करें। उपलब्ध निधि के अलावा उपगत 152 लाख रुपए को वसूलनीय के रूप में दर्शाया गया है तथा इसे भावी सीएसआर प्रावधान में से समायोजित किया जाना है।

ii) भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुरूप, कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह वर्ष 2012–13 के दौरान वर्ष 2011–12 के कर पश्चात लाभ के 0.5% का न्यूनतम व्यय अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी) पर उपगत करे। अव्ययित राशि के लिए प्रावधान गैर व्ययगत होने वाली आर एवं डी निधि के रूप में किया गया है। तदनुसार, बोर्ड ने वर्ष 2012–13 के लिए आर एवं डी योजना को अनुमोदित किया था। वर्ष के दौरान 287 लाख रुपए के बजट के प्रति आर एवं डी क्रियाकलाप पर 397 लाख रुपए का व्यय किया गया है।

iii) भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, कम्पनी से यह अपेक्षित है कि वह वर्ष 2012–13 के दौरान 50 लाख रुपए + वर्ष 2011–12 के लिए 100 लाख रुपए से अधिक के कर पश्चात लाभ के 0.1% का न्यूनतम व्यय सतत विकास (एसडी) पर उपगत करे। अव्ययित राशि के लिए प्रावधान गैर व्ययगत होने वाली एसडी निधि के रूप में किया गया है। तदनुसार बोर्ड ने वर्ष 2012–13 के लिए एसडी योजना को अनुमोदित किया था। वर्ष के दौरान, 110 लाख रुपए के बजट के प्रति एसडी क्रियाकलाप पर 121 लाख रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

46. प्रबंधन की राय में अचल परिसंपत्तियों, निर्माण संबंधी भंडारों, वसूले गए ऋणों और अग्रिमों के मूल्य तुलन.पत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होंगे।

47.क) कंपनी के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं हैं जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत 31 मार्च, 2013 तक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ख) 31 मार्च, 2013 के लघु/सहायक उद्योगों से की गई खरीददारी/सेवाओं के संबंध में 30 से अधिक दिन से अधिक कोई देयता नहीं है।

48.(i) महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 21.04.2008 के पत्र संख्या एमआईएस–1207/(126/2007)/एचपी के जरिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यम जो अभी गठित किया जाना है, को दो परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम सौंपा है। इन परियोजनाओं के नाम हैं (पुणे जिले में) कालू नदी पर मालशेज घाट (600 मेगावाट) और (सतारा जिले में) कोयना परियोजना की अपस्ट्रीम पर बनाई जाने वाली हुम्बर्ली (400 मेगावाट)। इसके लिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के बीच अगस्त, 2008 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और सर्वेक्षण

तथा अन्वेषण का काम शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च, 2013 तक टीएचडीसी ने इस पर 1101 लाख (गत वर्ष 856 लाख रुपए) खर्च किए हैं जिसे संयुक्त उद्यम से वसूली योग्य रुप में दर्शाया गया है जिसे 31 मार्च, 2013 को अभी निगमित किया जाना है।

(ii) भारत सरकार ने दिनांक 22.07.2008 के अपने डीओ नम्बर 11/01/2008–बीबीएमबी के जरिए भूटान की संकोश परियोजना (4060 मेगावाट), और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) की डीपीआर अद्यतन करने का काम परामर्शी आधार पर टीएचडीसी को सौंपा है। इसके लिए 23.03.2010 को क्रमशः 1682 लाख रुपए तथा 24.06.2010 को 1379 लाख रुपए के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और भूटान की शाही सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार डीपीआर को अद्यतन करने का काम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिया गया है।

(iii) टीएचडीसीआईएल, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीसीएल के बीच खुर्जा, जिला – बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो इसकी तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की स्थापना, ईंधन के लिए तालमेल, निधियन, विद्युत लेने के लिए वचनबद्धता, पीपीए पर हस्ताक्षर तथा उचित अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यधीन होगा। तदनुसार डीपीआर तथा अन्य स्थल संबंधित कार्य टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिए गए हैं।

49. भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1998 में किए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सरकारों (जीओयूपी/जीओयू) को योजना की पुनर्वास गतिविधियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इनका संचालन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से सीधे उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए समेकित व्यय विवरण के अनुसार व्यय किया गया खर्च कंपनी के लेखाबहियों में दर्ज किया गया है जिसे उत्तराखंड सरकार से संबंधित प्रभागों द्वारा महालेखाकार, उत्तराखंड को दिए गए मासिक विवरण के आधार पर समेकित किया जाता है। पुनर्वास काम में लगे उत्तराखंड सरकार के कार्मिकों के स्थापना खर्च प्राप्त लेखा विवरण में दर्शाई गई सीमा तक दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई सीधी प्रतिपूर्ति का हिसाब–किताब उनके लिए दावे मिलने पर किया जाएगा।

50. टिहरी बांध के गृह विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए केदारपुरम में निर्मित भवनों और भूमि की कीमत अवर्गीकृत भूमि में शामिल की गई है। गृह विस्थापितों को आबंटित न की गई कुछ गौण भूमि और भवन का इस्तेमाल कंपनी कर रही है। इसका स्वामित्व अभी कंपनी को अंतरित नहीं किया गया है। लागत के ब्यौरों को पुनर्वास रिकार्ड से संबद्ध करना लंबित होने के कारण इसे भूमि और भवन को अंतरित नहीं किया गया है।

51. (i)विद्युत गृह के संविदा प्रावधान के अनुसार मात्रा परिवर्तन के प्रति छूट के संबंध में केसीटी से वसूलियों संबंधी मामले को न्यायालय आदेश के अनुसार विवाचन हेतु भेजा गया था और तदनुसार, विवाचन कार्यवाहियां शुरू की गई थीं। इसी समय, केसीटी ने पीठासीन विवाचक की नियुक्ति को चुनौती दी। इसके बाद, अधिकरण ने आदेश दिया कि पीठासीन माध्यस्थम की नियुक्ति उचित है, जिसे जिला न्यायालय, टिहरी में केसीटी द्वारा चुनौती दी गई थी। जिला न्यायालय, टिहरी के आदेश को केसीटी के पक्ष को बनाए रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आस्थगन किया गया है। उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा प्रदत्त आस्थगन सूचीयन की तिथि तक बढ़ाया गया, इस दौरान शीघ्र सुनवाई हेतु एक तात्कालिकता आवेदन टीएचडीसी द्वारा दायर किया गया, मामले पर न्यायालय द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है। इन संविदाओं के तहत सृजित परिसंपत्तियों का मूल्य मामले को अंतिम रूप देने पर निर्भर रहते हुए परिवर्तित होगा।

(ii) संविदाकारों को दिए गए अग्रिम में 21275 लाख रुपए (मूलधन 12829 लाख रुपए और 16% की दर से ब्याज 8445 लाख रुपए) [गत वर्ष 19052 लाख रुपए (मूलधन 12505 लाख रुपए और 16% की दर से ब्याज 6547 लाख रुपए] शामिल हैं जो जोखिम और लागत लेखा, मोबलाइजेशन अग्रिम तथा उपस्कर अग्रिम के लिए केएचईपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) से वसूला जाना है। 31 मार्च, 2013 तक टीएचडीसीआईएल के पास उपलब्ध प्रतिभूति (निष्पादन गारंटी/नगद) के रूप में केवल 5629 लाख रुपए) (गत वर्ष 5629 लाख रुपए) उपलब्ध है।

पी सी एल के संबंध में माध्यस्थम के मामले में टीएचडीसीआईएल ने इस मामले में अधिकरण के समक्ष प्रति दावा पेश किया है। माध्यस्थमों ने निर्णय देते समय जोखिम एवं लागत अग्रिम पर ब्याज हेतु अधिकरण ने अनुमति नही दी है। टीएचडीसीआईएल ने माध्यस्थम के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायालय से फैसला न होने के कारण माध्यस्थम अवार्ड की राशि के संबंध में बहियों में ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

52. वर्ष 2010–11 के दौरान भारी वर्षा के कारण केएचईपी परियोजना में बाढ़ आई जिससे निर्माणाधीन कोटेश्वर परियोजना जो निर्माण अवस्था में थी, के कुछ उपस्करों को नुकसान हुआ और लगभग 4573 लाख रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया था। इस नुकसान के लिए संविदाकार अर्थात मैसर्स बीएचईएल द्वारा बीमा दावा कर दिया गया है। निर्माण कार्य की बहाली/दोबारा शुरू करने पर हुए खर्च को सीडब्ल्यूआईपी से अंतरित किया गया है और तदंतर यूनिटों के चालू होने पर पूंजीकृत किया गया है। प्रबंधन वर्ग का विचार है कि बीमा दावा की राशि प्राप्त हो जाने पर इसे पहले ही पूंजीकृत परिसम्पत्तियों में से समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा मैसर्स बीएचईएल द्वारा दर्ज कुल दावों में से 1000 लाख रुपए के दावे को बीमा कंपनी से प्राप्त किया गया है और इसे वित्त वर्ष 2011–12 के हिसाब में लिया गया है।

53. वर्ष के दौरान, कंपनी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (निवर्तमान विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय) द्वारा टैरिफ वसूली के लिए अधिसूचित दरों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का प्रावधान किया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों से अलग है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दरों को टैरिफ के साथ–साथ लेखाकरण के लिए लागू करने का भी प्रावधान किया गया है। तदनुसार वर्तमान टैरिफ विनियम 2009–2014 के तहत अधिसूचित दरों को वर्ष के लिए मूल्यह्रास निकालने के लिए ठीक समझा गया है।

54.(i) कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथिगृहों/मार्गस्थ कैम्पों तथा वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराए पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं प्रायः आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीकृत की जा सकती हैं लेकिन इन्हें सामान्य तौर पर निरस्त नहीं किया जा सकता। किराए में पट्टा भुगतान के लिए 794 लाख रुपए (गत वर्ष 698 लाख रुपए) शामिल है। (वसूली घटाकर)।

(ii) टीएचडीसीआईएल ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड से एनबीसीसी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली में 01 जुलाई, 2010 से 6 वर्षों के लिए 212 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से 2270 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला कार्यालय पट्टे पर लिया है जिसकी कुल कीमत 5 लाख रुपए एवं सेवा कर प्रति माह होगी। पट्टे पर लिए गए कार्यालय आवास में से 1870 वर्ग फुट है, 212 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से 8 नवम्बर, 2012 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कुल 4 लाख रुपए एवं सेवा कर प्रति माह में उप–पट्टे पर दिया गया है।

55.(i) कंपनी पूर्व निर्धारित दरों से भविष्य निधि का निश्चित अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा करती है जो इस राशि को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि के लिए निधि के अंशदान को खर्च माना जाता है तथा लाभ एवं हानि खातों से प्रभारित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज अदा करना अपेक्षित है जैसा कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। तथापि, कम्पनी का दायित्व ऐसे नियत अंशदान तथा न्याय द्वारा ब्याज देयता पूरी करने में कमी तक सीमित है। तदनुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2013 को एएस–15 (पुनरीक्षित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए संवैधानिक ब्याज दर गारंटी के कारण देनदारी 84 लाख रुपए (गत वर्ष 590 लाख रुपए) होती है जबकि तुलन–पत्र के तारीख को ट्रस्ट के पास राजस्व अधिशेष 79 लाख रूपए) (गत वर्ष 43 लाख रुपए) उपलब्ध था। इसीलिए सीपीएफ हेतु 5 लाख रुपए (गत वर्ष 546 लाख रुपए) की राशि को देयता के रूप में दिखाया गया है।

(ii) ''कर्मचारियों को लाभ'' के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2013 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारी लाभ का प्रावधान किया गया है। तदनुसार ''कर्मचारियों का लाभ'' के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.03.2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

सारणी 1 : निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

लाख ₹ में

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
मृत्यु सारणी	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	8%	8.5%
भावी वेतन वृद्धि	6%	6%

सारणी–2: दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

लाख ₹ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति अवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	8319	3985	1759	3936	498
ब्याज लागत	666	319	141	315	40
गत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	501	249	70	245	46
भुगतान किया गया लाभ	(473)	(1027)	(32)	(78)	(55)
बीमांकित (लाभ/हानि)	598	740	89	176	125
वर्ष के अंत में पीवीओ	9611	4266	2027	4594	654

सारणी–3 : तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

लाख ₹ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	9611	4266	2027	4594	654
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
निधियों की स्थिति	(9611)	(4266)	(2027)	(4594)	(654)
चिन्हित न हुए बीमांकित लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	(9611)	(4266)	(2027)	(4594)	(654)

सारणी–4: लाभ और हानि खाते /ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

लाख ₹ में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
चालू सेवा लागत	501	249	70	245	46
ब्याज लागत	666	319	141	315	40
गत सेवा लागत					
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल					
वर्ष के लिए चिन्हित निवल बीमांकित (लाभ) / हानि	598	740	89	176	125
वर्ष के लिए लाभ और हानि में चिन्हित व्यय / ईडीसी	1765	1308	300	736	211

56. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के तहत देय उपकर की दर अधिसूचित नहीं की है, इसलिए कंपनी ने कारोबार पर किसी प्रकार के उपकर का प्रावधान नहीं किया है।

57. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

लाख ₹ में

		2012–13	2011–12
i.	सांविधिक लेखापरीक्षक शुल्क	6*	6
ii.	कराधान मामले के लिए (कर लेखापरीक्षा)	2	2
iii.	कंपनी विधि मामले के लिए	.	.
iv.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	.	.
v.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	3	3
vi.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	3	4

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

58. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है :

लाख ₹ में

	विवरण	2012–2013	2011–2012
क.	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	11	13
	परामर्श और व्यावसायिक व्यय	2499	511
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	2504	2414
	माल का आयात	207	30
	अन्य (अग्रिम)	128	0
	सम्मेलन हेतु नामांकन	2	7
	सॉफ्टवेयर की खरीद	0	1
	कुल	**5351**	**2976**
ख.	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)**	**0.00**	**0.00**
ग.	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
i)	पूंजीगत माल	265	30
ii)	अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	**265**	**30**
घ.	**प्रयुक्त घटकों, स्टोरों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य**		
i)	आयातित (लाख रुपए में)	54	2
	(%)	43%	4%
ii)	देशी (लाख रुपए में)	73	64
	(%)	57%	96%
ङ	**निर्यात का मूल्य**	0.00	0.00

59. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्रम सं.	विवरण	2012–2013	2011–2012
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	1400 मेगावाट	1400 मेगावाट
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मेगावाट) – (सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मेगावाट	2844 मेगावाट
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
(क)	पूर्व–वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	शून्य	45.1769 मि.यू.
	बिक्री	शून्य	44.7251 मि.यू.
(ख)	वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	4266.03716 मि.यू.	4546.0793 मि.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	3735.06309 मि.यू.	3983.6996 मि.यू.

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है तथा अनुरक्षित कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

60. विगत वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी वर्तमान वर्ष के आंकड़ों में तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक हैं, पुनः समूहबद्ध / श्रेणीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कम्पनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एवं भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 17572

दिनांक : 09 जुलाई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के सभी सदस्य

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने "**टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड**" के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा नगदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक विवरण शामिल हैं, की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप–धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सही तथा उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस उत्तरदायित्व में उन वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण के सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का परिकल्प, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है, जो एक सही तथा उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा तात्विक अशुद्ध कथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना है। हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त हैं, लेखा परीक्षा का नियोजन तथा निष्पादन करें।

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया–विधियों का निष्पादन तथा प्रकटीकरण करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया–विधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथन के जोखिमों का निर्धारण करना शामिल हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण। इन जोखिम निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया–विधियां तैयार करने के क्रम में कम्पनी द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उचित प्रस्तुतीकरण से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की समुचितता करने के साथ–साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

राय

5. हमारी राय में तथा हमारी संपूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय

विवरण, अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के संबंध में एक सच्ची एवं उचित तस्वीर प्रकट करते हैं :

(क) तुलन–पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति की।

(ख) लाभ एवं हानि के खाते के विवरण के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ की तथा

(ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नगदी प्रवाह की।

अन्य मामले

6. अपनी रिपोर्ट को आपत्ति किए बिना हम निम्न की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं: –

क. टिप्पणी सं. 20.1 (i एवं iii)– सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का अंतिम निर्धारण लंबित होने के कारण बिक्री का लेखाकरण अनंतिम आधार पर किया जा रहा है।

ख. टिप्पणी सं 32 (i) – अतिरिक्त स्थल के कारण उत्तराखण्ड सरकार से शेष देय 5880.00 लाख रुपए के संबंध में, जो 31.03.2013 को रायल्टी के लिए देय राशियों के समायोजन के पश्चात्, अभी वसूल किया जाना है, देय है, उत्तराखण्ड सरकार ने उसे समायोजित कर लिया है तथा संशोधित मांग भेजी है जिसका लेखाकरण लंबित न्यायालय मामले के कारण नहीं किया जा सका।

ग. टिप्पणी सं. 35 (i) – शीर्ष 'गैर श्रेणीकृत भूमि' के तहत लेखों में पूंजीकृत 2797 लाख रुपए का पुनर्वास व्यय उत्तराखण्ड सरकार/सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर दर्ज किया गया है तथा इसलिए हमारे द्वारा उसका सत्यापन नहीं किया जाना है।

घ. टिप्पणी सं 37 विविध देनदारों, विविध लेनदारों, प्रतिभूति जमा/धरोहर राशि जमा ऋण तथा अग्रिमों के कुछ शेष, पुष्टि तथा समाधान के अध्यधीन हैं।

ड. टिप्पणी सं. 38 (i) – कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 43 फ्लैटों (विगत वर्ष 45 फ्लैट) के अनधिकृत कब्जे से संबंधित।

च. टिप्पणी सं. 51 (ii) – संविदाकारों को अग्रिम में 5629 लाख रुपए की प्रतिभूति के प्रति केएचईपी संविदाकार (मैं. पीसीएल) को जोखिम तथा लागत पर निष्पादित कार्यों के लिए 21275 लाख रुपए शामिल हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

7. अधिनियम, की धारा 227 की उप–धारा (4क) के क्रम में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित अनुलग्नक में हम इस कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।

8. अधिनियम की धारा 227(3) द्वारा यथापेक्षितानुसार हम सूचित करते हैं कि :

(क) अपनी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए जरूरी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित खातों की उचित बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं जैसा कि हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नगदी प्रवाह के विवरण खाते बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नगदी प्रवाह विवरण, जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ दिखाया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप–धारा (1) के खंड (छ) के अनुसार 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

कृते भाटिया एण्ड भाटिया
सनदी लेखाकार
एफआरएनः आईसीएआई का 003202एन

(रविन्दर भाटिया)
भागीदार एफसीए
सदस्यता संख्या–17572

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.07.2013

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 में संदर्भित अनुलग्नक)

(i) **इसकी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :**

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अचल परिसंपत्तियों की पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। इन परिसंपत्तियों के संचालन के रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है और इस सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारी राय में, कंपनी के आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारम्बारता उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

(ii) **इसकी वस्तुसूचियों के संबंध में :**

(क) संविदाकारों के पास पड़ी सामग्री को छोड़कर वस्तु–सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में वस्तु–सूची की वास्तविक जांच उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया–विधियां उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तु–सूची का उचित रिकार्ड रखा है।

(iii) **ऋणों के संबंध में :**

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने न तो कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण लिया है और न ही दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ–4 का खंड (iii) कम्पनी पर लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वस्तु सूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला है और न ही ऐसी कोई सूचना मिली है कि कंपनी अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में लगातार असफल रही हो।

(v) हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गई लेखा–परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, हमारी संपूर्ण जानकारी और विश्वास तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में संदर्भित कोई भी संविदाएं या व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी जिन्हें इस धारा के तहत अनुरक्षण के लिए अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान 5,00,000 या उससे अधिक के लेन–देन के औचित्य का प्रश्न नहीं उठता।

(vi) कंपनी ने जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा.निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

(vii) कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें कंपनी की विभिन्न इकाइयों की समय–समय पर लेखा–परीक्षा करने के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आंतरिक लेखा–परीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(viii) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी अपेक्षित लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2012–13 के लिए लागत लेखापरीक्षा अभी तक नहीं की गई है।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्राधिकरणों में नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं तथा इनके संदेय होने की तिथि से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार बकाया नहीं थी। जैसाकि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित आयकर/व्यापार कर/ प्रवेश कर की देय राशि जमा नहीं की गई है।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (लाख रुपए में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2000–01 149 महीनों के लिए ब्याज	136.35 406.33	प्रवेश कर	प्रवेश कर का मामला अपर आयुक्त (अपील), देहरादून के पास लंबित है।
2007–08	0.93	व्यापार कर	टीएचडीसीआईएल ने 28.02.2011 के मूल्यांकन आदेश में की गई मांग के खिलाफ अपील दायर की है।

(x) (क) कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत में कोई संचयी हानियां नहीं हुई हैं तथा लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नगद हानियां नहीं हुई थीं।

(ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में, जो निर्माणाधीन हैं, संचयी हानियों का यह खंड लागू नहीं होता।

(xi) कंपनी ने, हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा–परीक्षा पद्धति के आधार पर, तथा अभिलेखों के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंक की देय राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

(xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत नहीं किए हैं।

(xiii) कंपनी चिट फंड या निधि/म्युचुअल बेनीफिट फंड/सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड–XIII कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेश का काम नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड XIV कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xv) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने अन्यों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे, वर्ष के दौरान उसी के लिए उनका इस्तेमाल किया।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 09.07.2013

गोपनीय

सख्याः MAB-III/Rep/01-37/Acs-THDC/2013-14/VOL.IV/524
Hkkjrh; y[kk rFkk y[kkijh{kk foHkkx
कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III,
NEW DELHI

दिनांक / Dated 30 July 2013

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश

विषयः 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीया,

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor Annexe Building, 10 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Tel : 23239227, Fax : 23239211; E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च,2013 को समाप्त वर्ष के खातों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च,2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम,1956 के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उनके पेशेवर निकाय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की है। सूचना दी गई है कि ऐसा उनके द्वारा 09 जुलाई,2013 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया जा चुका है।

मैंने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ख) के अधीन 31 मार्च,2013 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यों के कागजात के बिना तथा सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रारंभिक जांच की सीमा तक और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चुनिंदा परीक्षण के आधार पर की गई। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत टिप्पणी करना या ''सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुपूरक'' अपेक्षित हो।

कृते व भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखापरीक्षक की ओर से

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई, 2013

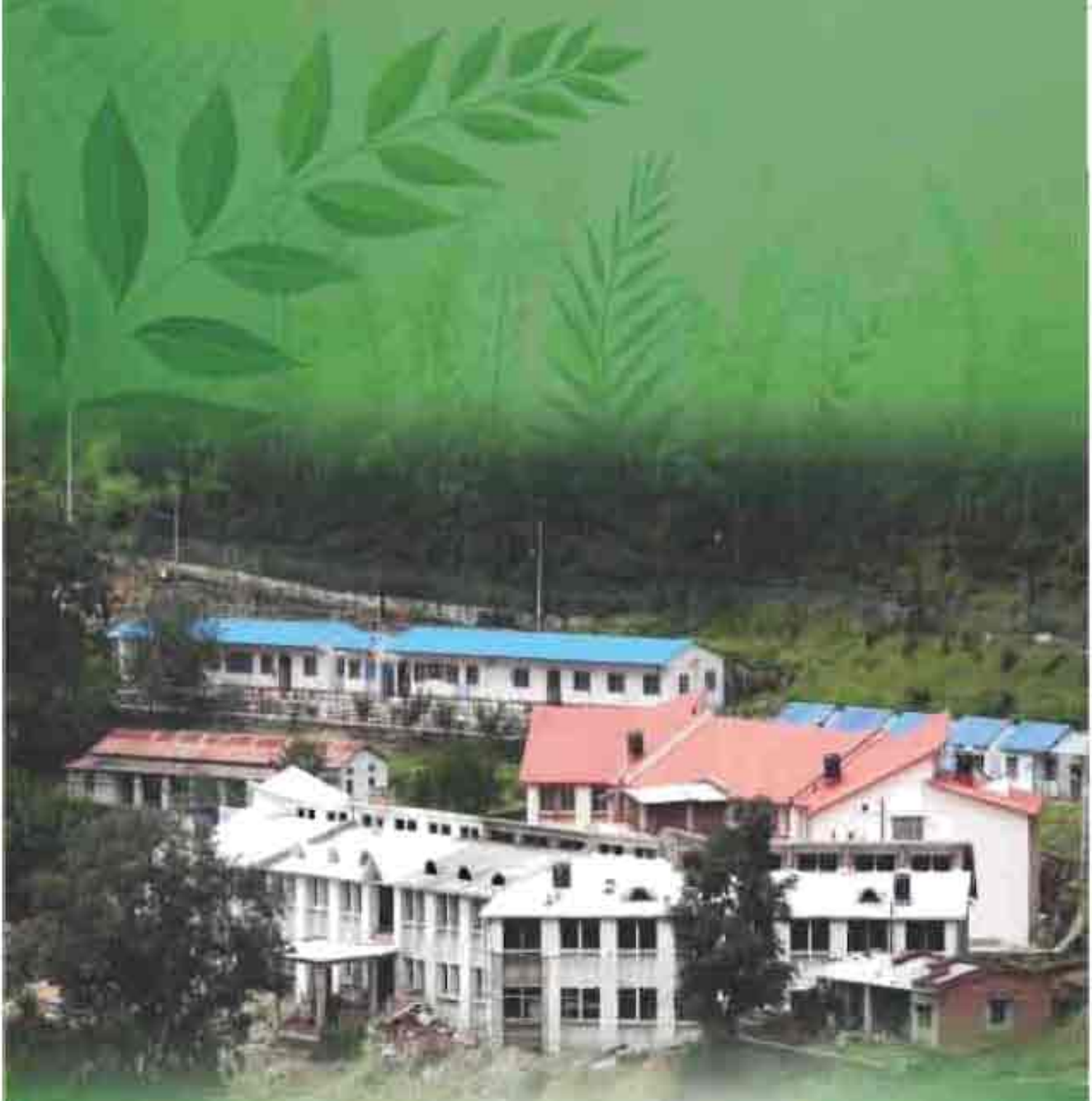

वीपीएचईपी में बुनियादी ढांचे का विकास कार्य
Infrastructure Development Work at VPHEP

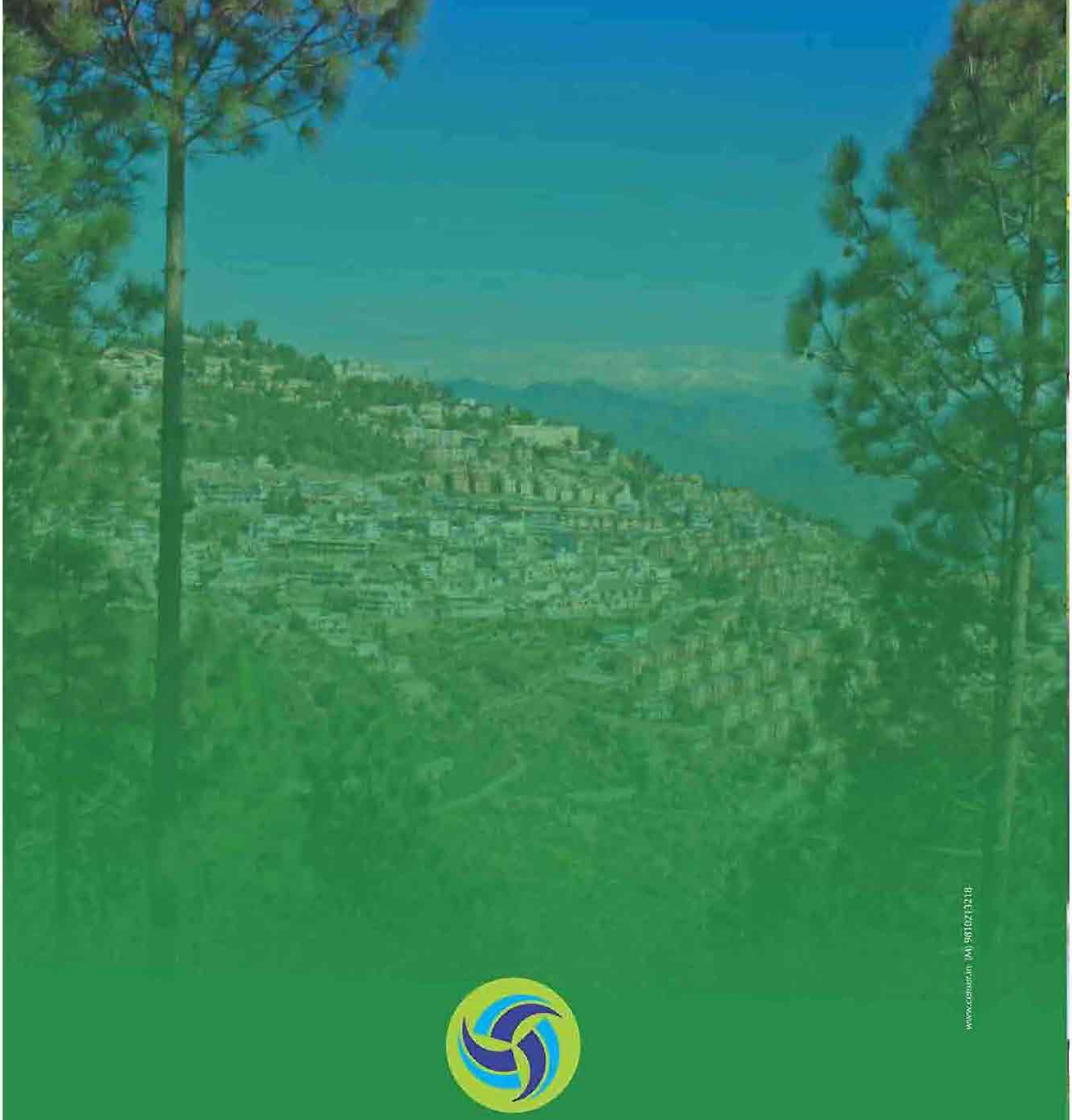

टीएचडीसी इंडिया लि.
(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201–(उत्तराखंड)

THDC INDIA LIMITED
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
Ganga Bhawan, Pragtipuram, By Pass Road, Rishikesh-249201-(Uttarakhand)
Ph. : (0135) 2435842, 2439309 & 2437646 Fax : (0135) 2439442 & 2436761

www.censer.in (M) 9810213218